	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509—223873 ई—मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	

सी.एस.एफ./सूरत./2—आउटर्सोस/कृषि/2021—22/ दिनॉक:09.04.2021.

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में **खण्ड़ न. 2 के 2 चकों (2 RPM-4, 33 PBN) की कुल 525.0 हैक्टर जमीन 1 वर्षो के लिए** (खरीफ 2021 व रबी 2021—22 के सीजन) आउटसोर्सिंग के माध्यम से फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु सीलबंन्द निविदायें दिनांक **22.04.2021** के दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिसके निविदा फार्म दिनॉक **22.04.2021** को 12.00 बजे दोपहर तक और इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में 9.30 प्रात से 5.15 सायं तक कार्यालय से प्राप्त की जा सकतें हैं। निविदा दिनॉक **22.04.2021** सांय 2:30 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदाफार्म, नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से डाउनलोड की जा सकती है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा में भाग लेने के लिए रूपये 1180/— निविदाफार्म शुल्क व रूपये 1500/— मात्र प्रति हैक्टर (रूपये प्रन्द्रह सौ मात्र) के हिसाब धरोहर राशि के डी.डी. जो कि **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, PAYBLE AT SURATGARH** के नाम देय हो, जमा कराना होगा।

प्रबंधक (उ.)
कृते फार्मप्रमुख

नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड
(भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 ब्वउचंदल”
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
फोनः 01509–223873
ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar

– निविदा प्रपत्र –

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्साआधारीत उत्पादन पद्धति के आधार पर **खरीफ 2021 व रबी 2021–22** में केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर की **यूनिट एफ – 276.0 हैं0 (चक न. 33 PBN)** व **यूनिट जी – 249.0 हैं0 (चक न. RPM 4)** की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

1. निविदादाता का नाम व पता..
2. वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड नं.(प्रतिलिपि सहित)..
3. फोन न...
4. पैन कार्ड नं. .(प्रतिलिपि सहित)..
5. अमानत राशि का विवरण डी.डी न. सहित...

क्र सं.	प्रस्तावित चक का नाम व क्षेत्र (हैक्टेयर)	यूनिट व एरिया हेक्टेयर में	फसल सीजन, फसल का नाम		फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत	
			खरीफ– 2021,	रबी 2021–2022	फार्म का हिस्सा	पार्टी द्वारा लिया जाने वाला हिस्सा
1	33 PBN- **276** (सम्पूर्ण क्षेत्र)	**F** 276.0 Hect.	उर्द, मूँग , धान, ग्वार व अन्य फसलें आवंटन अनुसार	सरसों, चना गेहूँ, जौ, पालक व अन्य फसलें आवंटन अनुसार		
2	RPM-4 – **249.0** (सम्पूर्ण क्षेत्र)	**G** 249.0 Hect.				
	TOTAL AREA IN HECT.	**525.0**				

मैनें निविदा की नियम एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझ ली है। मैं फार्म दवारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रू 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH.

The Statement Showing Chak, Area Water availability & There Share details.

(Area in Hect.)

Block	CHAKS	TOTAL AREA of CHAK	Culturable/ Irrigated Area	Area for Out source in Hect.	No. of Tube-well at chak	Authorized Water Discharge in Cusec	Water Share details
Block 2	RPM-IV	268.612	249.683	249.00	0.00	2.120	Overall farm water share of said Chak 2.12 cusec will be used by Successfully Outsource Cont.
	33PBN	368.493	276.617	276.00	0.00	2.820	Overall farm water share of said Chak 2.82 cusec will be used by Successfully Outsource Cont.
	TOTAL	**637.105**	**526.3**	**525.00**	**0.00**		

Note:- चको पर उपलब्ध पानी का विवरण, नहर पानी की उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो सकता है।

<u>राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड</u>

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ</u>

<u>समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है0 मात्र डी.डी. <u>(जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो)</u> द्वारा जो कि <u>**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,**</u> <u>सूरतगढ के नाम सूरतगढ</u> देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर व <u>अंतिम निपटान पूर्ण होने</u> पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थाई पता देना होगा।
2. अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।
3. निविदादात्ता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चत्तम दर देने वाले सफल निविदादात्ता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता से <u>70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित</u> किया जायेगा। <u>किसान को दिये जाने वाले बीज (planting material) की दर grower programme में दी गई पॉलिसी के अनरूप की जाएगी।</u> पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बिमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अंतिम भुगतान बिल में से काट ली जायेगी। <u>प्रस्तावित/ आवंटित क्षेत्र में फार्म पर कृषि कार्यो हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।</u>

4 (i) यदि किसी कारणवश फार्म सफल निविदादाता को आधारीय/प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलो का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जायेगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जायेगा और निविदाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नही किया जायेगा।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुबाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2021-22 के लिये खरीफ 2021, जायद 2021 व रबी 2021-22 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से बीज रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर मण्डी (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा।जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद,मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर,सरसों 16 अप्रैल से 15 मई, चना 15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, ग्वार 1 अक्टूबर वे 31 अक्टूबर व सरसों, चना, मटर, मसूर 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा ।

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीकिया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमैंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमैंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमैंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में,निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं

करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

ङ. खलिहान परंरा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिटटी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते है तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चेपर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।

च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।

छ. फार्म द्वारा rawseed का intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि rawseed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजो आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि seed recovery निश्चित सीमा से अधिक आये व processing losses भी कम से कम रहे. हिस्सा आधारित पद्धती से उत्पादित किसानो से प्राप्त rawseed की फसलवार न्युनतम तय की गयी seed recovery percentage:-

क्रम सं	**फसल का नाम**	**न्युनतम seed recovery %**
खरीफ फसल		
	बाजरा, धान	**80%**
	मूंग, मोठ, उर्द, ग्वार, अरहर	**78%**
	मूंगफली, तिल	**75%**
रबी फसल		
	गेहूँ, जौ	**80%**
	चना, सरसों, तोरिया, अलसी	**78%**
	जई	**75%**
	शेष अन्य फसले	**78%**

यदि seed recovery निश्चित न्युनतम सीमा से कम आती है तब ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटोती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी!

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

$$\frac{\text{Actual seed recovery X Rate/P.Q}}{\text{crop wise seed recovery percentage fixed}}$$

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।

7. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल

निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।

8. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर टयूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निणर्य होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।

10. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवंम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि, फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।

11. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।

12. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।

13. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निमार्ण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।

14. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवंम अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।

15. संबधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता

व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।

16. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।

17. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।

18. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।

19. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूड़ी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।

20. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।

21. (I) प्रत्येक फसल के उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गत तीन वर्षो में से अधिकतम फसलवार उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ! यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणो की समीक्षा की जाएगी यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब निविदादाता इस् कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी ।

21 (II) यदि प्रस्तावित चक पर किसी फसल की पिछले 3 वर्षो में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन तीन वर्षो में इस चक पर नहीं लिया गया है तब ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेगा ! यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब निविदाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी।

22. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिर्पोट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।

23. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।

24. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।

25. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।

26. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।

27. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल एक वर्ष 2021-22 (खरीफ 2021 व रबी 2021-22) के लिए होगा भविष्य में बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर यह आउटसोर्सिंग का कार्य अन्य एक वर्ष के लिए आपसी सहमति से बढाया जा सकता है

28. यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

29. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।

30. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/ नियंत्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदाता अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

31. नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा

32. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का संपूर्ण अधिकार फार्म प्रशासन का होगा।

33. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।

34. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उतरदायित्व निविदादात्ता पार्टी का होगा।

35. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदाता के हस्ताक्षर